अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2025/225

भानू कुमार v/s गोपाल वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मोहम्मद इकबाल एड० — श्री दीपक पारीक — 2	
28.04.2025	भानू कुमार बनाम गोपाल वगैरह (2025/183) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्राथमिक आपत्ति पेश किया, प्रति अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को दी गई। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष को प्राथमिक आपत्ति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0, एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 06.05.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
06.05.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्राथमिक आपत्ति, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0, एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 28.04.2025 को सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद जिला जयपुर दिनांक 20.03.2025 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में जारी स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो वाद में पक्षकार है ना ही अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है जो व्यक्ति वाद व कार्यवाही में पक्षकार हो वहीं 212 के प्रार्थना पत्र की अपील प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं है इसलिए उक्त अपील का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 212 प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.03.2025 की तारीख पेशी को स्थगन आदेश जारी किया जिसकी आगामी पेशी दिनांक 24.04.2025 नियत की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व माननीय मण्डल की फुल बैंच द्वारा समय समय पर सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि आगामी पेशी तक पारित आदेश की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं है। इसलिए प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर काबिल खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पक्षकार मुर्तिब नहीं है व सीधे ही धारा 212 के प्रार्थना पत्र की अपील करने योग्य नहीं है क्योकि वाद में पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करके उन्होने सीधे ही 212 का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रकार से प्रस्तुत कर दिया जो अन्तर्गत आपत्ति निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। विभाजन के बाद में रिकॉर्डेड खातेदार थे उनको पक्षकार कायम किया जाकर वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके नोटिस पक्षकारगण को जारी हो चुके है। उन्हे भलीभांति जानकारी प्रकरण की रही है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आगामी पेशी पर दिनांक 24.04.2025 आगामी पेशी निर्धारित है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने के पश्चात ही किसी आदेश या निर्णय को चुनौती देने का अधिकार अपीलांट के पास शेष रहता है। सीधे ही माननीय न्यायालय के समक्ष जो	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

105/2025/225 भानू कुमार v/s गोपाल वगैरह

अपील प्रस्तुत की गई है वो काबिल खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर अपील को इसी स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है, जिससे उसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है, गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि व्यथित पक्षकार को प्रत्येक आदेश/निर्णय के विरूद्ध धारा 96 जा0दी0 के तहत अपील/निगरानी/समस्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार दिया गया है, जिसमें पारित आदेश से यदि कोई व्यथित है तो वर्तमान अपील में अपीलांट के हक व अधिकार प्रभावित होते है, जिससे अपीलांट व्यथित पक्षकार होने के कारण उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि किसी भी न्यायालय के द्वारा जारी किसी भी प्रकार का आदेश स्वतः समाप्त नही होता है और जब तक किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आदेश निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक उपरोक्त आदेश अस्तित्व में रहता है, वर्तमान अपील में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरूद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रथम अपीलीलय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष संधारण योग्य मानी गई है और यही सिद्धान्त माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्त आर0आर0टी0 2014 पार्ट 1 में भी उल्लेखित किया गया है। जिससे रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति काबिल खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 20.03.2025 को राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय रूप से स्थगन आदेश प्राप्त किया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 इस तथ्य से भलीभांती रूप से वाकिफ थे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 04, 06, 07 द्वारा अपीलाधीन आराजीयात में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये बैनामा दिनांक 18.03.2025 व 17.03.2025 के द्वारा अपीलांट को बेचान किया जा चुका है, जिसके पश्चात सम्पूर्ण जानकारी होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 03 ने वाद पत्र में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना वाद प्रस्तुत किया गया और झूठे तथ्यों के अधार पर एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जो किसी सूरत में प्राप्त करने का रेस्पोडेन्ट अधिकारी नही था, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.03.2025 काबिल खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 06 में वर्णित कथन जिसमें रेस्पोडेन्ट स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जिसमें रिकार्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है, यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अंतरिम/स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः जवाब प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार कर प्रारम्भिक आपत्ति को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना–पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति, प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिसे दर्ज कर एकपक्षीय रूप से सुना जाकर अंतिरम स्थगन आदेश अगामी पेशी दिनांक 24.04.2025 तक पारित किया गया। अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

2025/225 भानु कुमार v/s गोपाल वगैरह

लगातार---	यह कथन किया गया कि वाद से पूर्व उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को क्रय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध उक्त विचाराधीन अपील पेश की है, रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा जब दावा पेश किया गया तत्समय के वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार मुर्तिब कर प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही किये बिना सीधे ही अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट न तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार है ना ही दावें में पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निरतारण नहीं किया गया है। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्यथा/उज्र उठाने का अवसर है। अपील बिना दावें में पक्षकार बने ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, की हो ऐसा भी कोई दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट दावें में पक्षकार नहीं है, अपील बिना दावें में पक्षकार बने ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है, जो की संधारण योग्य नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील संख्या:– 183 /2025/जिला जयपुर

2025 | 183

1. भानू कुमार शर्मा पुत्र दामोदर प्रसाद शर्मा
2. वैद प्रकाश शर्मा पुत्र दामोदर प्रसाद शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मुरली मनोहर मन्दिर के पास, ग्राम मुकुन्दपुरा भांकरोटा तहसील जयपुर जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र तेजा
2. जगदीश पुत्र तेजा
3. रामकुवार पुत्र तेजा

जाति अहीर निवासी ग्राम धानक्या तहसील कालवाड जिला जयपुर।

मुख्य रेस्पोडेन्ट

2025 | 183 | 16/4/25

4. कैलाश पुत्र रामसहाय
5. मदन लाल पुत्र रामसहाय
6. हनुमान पुत्र रामसहाय
7. हरिनारायण पुत्र रामसहाय

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम धानक्या तहसील कालवाड जिला जयपुर।

8. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ
9. लाल चन्द पुत्र रामनाथ
10. रमेश पुत्र रामनाथ

समस्त जाति अहीर निवासी बद्रीधान की ढाणी, बोराज तहसील मोजमाबाद जिला जयपुर।

11. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बोराज तहसील मौजमाबांद जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक शाखा महला तहसील मौजमाबांद जिला जयपुर।
13. उपपंजीयक कार्यालय मौजमाबाद जिला जयपुर।
14. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

Scanned with CamScanner